कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक 74/प0प्र0अनु0–2015–16/देवरिया दिनांक : 30.04.2015

दर आमंत्रण हेतु अति–अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के मार्ग प्रकाश अनुभाग के अन्तर्गत पालिका निधि/राज्य वित्त से निम्न सामग्री की आपूर्ति हेतु हैवेल्स, क्राम्पटन ग्रीवज, बजाज, सूर्या ब्रान्ड के मूल निर्माताओं/उनके डीलर्स से मुहर बन्द निविदायें दिनांक **15.05.2015** को 4.00 बजें तक आमत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी देवरिया कार्यालय के एल.बी.सी. पटल पर रखे गये निविदा बाक्स में निर्धारित तिथि/समय तक डाली जायेगी तथा उसी दिन इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप सें 4.30 बजें खोली जायेगी। निविदा तिथि को अवकाश होने की दशा में अगलें कार्य दिवस पर डाली/खोली जायेगी। निविदा के साथ मु0 462500=00 रू0 धनराशि की धरोहर धनराशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिशद देवरिया के पक्ष में राश्ट्रीय कृत बैंक से एफ.डी.आर./टी.डी.आर./एन्.एस.सी./के.बी.पी. आदि के रूप में निर्गत हो तथा आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि चेक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। टेण्डर के साथ डीलरशीप का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। डीलर प्रमाण पत्र संलग्न कर, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र दिनांक **14.05.2015** को प्रातः 11.00 बजें से सायं 4.00 बजें तक कार्यालय नगर पालिका परिशद देवरिया एवं कलेक्ट्रेट स्थित एल.बी.सी. पटल सें रू0 4625/–का नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते है। उक्त विज्ञापन को कलेक्ट्रेट देवरिया के चालू बेवसाइड www.Deoria.nic.in or www.municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटायी अथवा बढ़ाई जा सकती है। एक अथवा सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिशद देवरिया में निहित होगा।

क्र0सं0	समग्री का विवरण
1	सोडियम सेट 250 वाट बल्ब सहित
2	सी.एफ.एल. सेट 65 वाट बल्ब सहित
3	ब्रेकेट पाइप 1.5″X 3′ जी.आई. पाइप
4	श्राउण्ड पोल, सीमेन्ट पोल, क्लैम्प 1.5 सूत, मोटा लोहे का पहिया में उक्त साइज का नट+बोल्ट सहित
5	ब्रेकेट पाईप 1″X 3′ जी.आई. पाइप

नियम व शर्तें:–

1– निविदा पर निविदादाता के स्पष्ट एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। स्पश्ट हस्ताक्षर न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2– निविदादाता को निविदा की दरे स्पश्ट रूप से भाब्दों व अंको में निर्धारित स्थान पर साफ–साफ अंकित करनी होगी।

3– निविदाएँ सिर्फ प्रति अद्द की दरो हेतु मांगी गयी है। आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा आपूर्ति आदेश में दी जायेगी तथा स्वीकृत दर पर न्यूनतम निविदादाताओं को आपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर करनी होगी।

4– डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जायेगा, जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होगी।

5– सफल निविदादाता को बढे हुए उपकरणो की आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर एकरानामा करके कार्य मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एफ.डी.आर./के.वी.पी./एन.एस.सी./नगद जमानत की धनराशि जमा करना होगा।

6– अनुबन्ध स्टैम्प पेपर ट्रेजरी (कोशागार) से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।

7– निविदा में प्राप्त दरों की बैधता 31 मार्च 2015 तक होगी। इस अवधि में पालिका की आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने के लिए स्वीकृत निविदादाता बाध्य होगा।

8– कम्पनी द्वारा निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थदण्ड देय होगा।

9– सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से आपूर्ति पूर्ण नहीं किया गया तो नगर पालिका परिशद को यह अधिकार होगा कि वह आपूर्ति किसी अन्य से करा ले तथा इस प्रक्रिया में जो पालिका को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त कर पूर्ण कर लिया जायेगा।

10– कम्पनी/फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये विद्युत सामग्रियों में यदि कम्पनी द्वारा निर्धारित गारन्टी अवधि में किसी प्रकार की कोई खराबी या कमी पाये जाने की दशा में उक्त सामग्री को बदलना अनिवार्य होगा।

11– सफल निविदादाता द्वारा पहले विद्युत सामग्री का सैम्पल पथ प्रकाश स्टोर में देना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

12– किसी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिशद देवरिया के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर पालिका परिशद देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

13– न्यूनतम निविदादाता को आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्पूर्ण सामानो की आपूर्ति एकमुश्त करना अनिवार्य होगा।

14– आपूर्ति लिये जाने वाले प्रकाश उपकरणों के लिए व्यापार कर में पंजीकृत व्यापारी/आपूर्तिकर्ता होना अनिवार्य होगा।

15– उत्तर प्रदेश व्यापार/आयर विभाग से पंजीकृत फर्मो को ही निविदा खरीदने व डालने का अधिकार होगा।

(राधेश्याम कुशवाहा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
देवरिया

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
देवरिया